कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,.....जिला.....(म.प्र.)

(मुख्य मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण)

बी.ओ.टी. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापना/संचालन की विस्तृत शर्तें

1. तौलकांटे की स्थापना हेतु जारी नवीनतम परिपत्र दिनांक .....में उल्लेखित बी.ओ.टी. तौलकॉटा संबंधी सुसंगत शर्तें निविदा का भाग होगी।
2. मंडी में उपलब्ध स्थानों में से उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है, जहाँ प्रांगण में आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके, तौल हेतु वाहन सहजता से तौलकांटे तक पहुँच सके तथा मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो।
3. परिपत्र की कंडिका-1.4 अनुसार मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में "स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण, भूखंड का आकार आदि" दर्ज है, जो निविदा का भाग होगा।
4. सामान्यत: तौलकांटे हेतु आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आदर्श/प्रतिमान (model) आकार 20X10 वर्गमीटर होगा /आंकलन समिति द्वारा मंडी की आवश्यकता, स्थान की उपलब्धता, तौलकांटे की क्षमता आदि मानकों के आधार पर कम/अधिक आकार के.....वर्गमीटर भूखंड का आवंटन प्रस्तावित कर ले-आउट में तदनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार निविदा आमंत्रित की गई है (जो लागू हो)।
5. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा (Weighbridge) स्थापित करने हेतु भूखण्ड का आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए केवल किराये पर दिया जायेगा।
6. विस्तारित अवधि (Extended Period) – तौल काँटा संचालन का कार्य संतोषजनक होने, समस्त देयकों का पूर्ण भुगतान होने तथा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मंडी समिति आवंटन अवधि में 05-05 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार वृद्धि करने का निर्णय ले सकेगी।
7. उपरोक्त वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में मंडी समिति एवं तौलकाँटा संचालक के मध्य नवीन अनुबंध संपादित किया जायेगा, जिसमें मंडी समिति तात्कालिक परिस्थितियों एवं मंडी बोर्ड के नवीन/प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नवीन शर्तें सम्मिलित कर सकेगी, जो तौलकाँटा संचालक को मान्य एवं बाध्यकारी होंगी। मंडी समिति की शर्तों को तौलकाँटा संचालक द्वारा मान्य न किये जाने पर आवंटन अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी तथा तौलकांटे के आवंटन हेतु पुनः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
8. आवंटन अवधि में वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में प्रत्येक वृद्धि के दौरान वार्षिक प्रीमियम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वार्षिक प्रीमियम राशि पुनरीक्षित की जाएगी।
9. आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का वार्षिक किराया, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य के 03 % अनुसार, कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि वर्तमान आवंटन हेतु .....राशि रूपये प्रतिमाह होगा।
10. आवंटित भूखण्ड के किराए में प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि की जाएगी।
11. आवंटिती को तौलकांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये की राशि का भुगतान मंडी समिति को प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में अनिवार्यतः अग्रिम के रूप से करना होगा।
12. आवंटिती के पास किराये का अग्रिम भुगतान वार्षिक रूप से करने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा, वार्षिक किराये का भुगतान अग्रिम रूप से करने पर वार्षिक किराये में 4% (चार प्रतिशत) की छूट प्रदाय की जाएगी।
13. तौलकांटे पर कृषकों एवं व्यापारियों की कृषि उपज की तौल के लिए तुलाई दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जाएँगी। कृषकों की उपज की तौल हेतु यथा ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहन के लिए दरें व्यापारिक तौल की दरों से न्यून तथा रियायती रखी जाएगी।

14. व्यापारिक जावक की तौल दरें सामान्यतः क्षेत्र की प्रचलित दरों के अनुरुप होगी। प्रारंभिक तुलाई दरें भू-खण्ड आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है जो अनुबंध का भाग होगी।
15. मंडी समिति, मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 के प्रावधान अनुसार तुलाई दरों में संशोधन कर सकेगी, किन्तु एक बार निर्धारित दर में 03 वर्ष के पूर्व कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
16. ऑनलाइन निविदा द्विस्तरीय होगी, जिसमें तकनीकी बिड एवं वित्तीय आफर हेतु लाईव बिडिंग केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन लिफाफों में संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना प्ररूप अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. तौलकांटे हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए खुली नीलामी हेतु ई-बिडिंग/टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली का उपयोग कर लाईव बिडिंग कराई जाएगी।
18. किसी भी प्रकार के भौतिक (Physical) निविदा को प्रस्तुत/जमा करने की आवश्यकता नहीं है, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत किये बिना प्रेषित भौतिक निविदाओं को सीधे अमान्य कर दिया जाएगा।
19. निविदा समिति द्वारा केवल निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त निर्धारित प्ररूप में समस्त औपचारिताओं की पूर्ति करने वाली निविदाओं का मूल्यांकन किया जायेगा। जिसमें प्रथमतः तकनिकी अहर्ताओं का ऑनलाइन लिफाफा खोला जायेगा तत्पश्चात तकनिकी रूप से अहर्य निविदाकारों को टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया की वित्तीय बिडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
20. निविदा समिति, प्राप्त निविदाओं का परीक्षण कर विवरण पत्रक तैयार करेगी, जिसमें सभी निविदाकारों के विवरण, अर्हताएँ तथा वार्षिक प्रीमियम की दर आदि अंकित कर उच्चतम योग्य निविदाकार का निर्धारण किया जायेगा।
21. निविदा समिति युक्तियुक्त निर्णय लेते हुए अपनी अनुशंसा मंडी समिति को प्रस्तुत करेगी। मंडी समिति उक्त पर 10 दिवस के भीतर बैठक आमंत्रित कर प्रस्ताव पारित कर निर्णय ले सकेगी।
22. मंडी समिति द्वारा समस्त अहर्ताओं की पूर्ति करने वाले अधिकतम वार्षिक प्रीमियम के प्रस्तावकर्ता निविदाकार की निविदा अनुमोदित करने के उपरांत कायदिश देने के पूर्व निर्धारित प्ररूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
23. निष्पादित अनुबंध को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित दर से, स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगा।
24. निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में तौलकांटे के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाएं उल्लेखित किया जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य रहेगा।
25. उच्चतम दर अनुसार वार्षिक तौलकांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा एक मुश्त अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष (अनुबंध संपादन माह में) मंडी समिति में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उदाहरणस्वरुप - यदि जनवरी माह में अनुबंध निष्पादित किया गया है तो आगामी वर्ष से अनुबंध समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष अग्रिम प्रीमियम राशि जनवरी माह में अनिवार्यत: जमा करनी होगी।
26. धरोहर राशि, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य का 3% (तीन प्रतिशत) होगी, जो कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसी प्रकार सफल निविदाकार द्वारा 01 वर्ष के वार्षिक प्रीमियम की राशि रक्षित पेशगी के रूप में अतिरिक्त रूप से अनिवार्यतः जमा की जाएगी।
27. धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि सुरक्षा निक्षेप के रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी। उक्त राशि तौलकांटा संचालक को अनुबंध अवधि समाप्ति के एक माह के भीतर मंडी के देय स्वत्वों के समायोजन उपरांत बिना ब्याज लौटाई जाएगी।
28. प्रदेश की किसी मंडी समिति के देयक/शोध्य वसूली योग्य होने एवं/अथवा शासन के किसी विभाग अथवा संगठन से ब्लैक लिस्टेड आवेदक तौलकांटे की निविदा प्रस्तुत करने हेतु अपात्र होंगे।
29. आवेदन के साथ परिपत्र की कंडिका 8.5 के अनुक्रम में निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत शपथ-पत्र में दिये गये तथ्य/विवरण गलत/असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित के विरूद्व तौल काँटा आवंटन निरस्ती एवं धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि राजसात करने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

30. तौलकांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौलकांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन पर गर्डर फर्शी की छत इस शर्त के साथ डाली जा सकती है कि छत पर अन्य निर्माण कार्य नहीं होगा एवं छत का उपयोग किसी व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व स्थापित बीओटी तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा।
31. तौलकांटे की स्थापना का कार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड के नवीनतम मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा। नापतौल विभाग के सत्यापन उपरांत ही तौलकॉटा प्रारंभ किया जाएगा।
32. सफल निविदाकार को मंडी समिति से तौलकांटा आवंटन आदेश प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर तौल कांटे को स्थापित एवं क्रियाशील कर मंडी समिति को सूचित करना होगा। विलंब की स्थिति में संबंधित पर निर्धारित वार्षिक प्रीमियम राशि का 1.5% प्रतिमाह के मान से विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। यदि आगामी तीन माह (आदेश प्राप्त दिनांक से छः माह) के भीतर भी तौलकांटा प्रारंभ नहीं किया गया अथवा विलंब शुल्क सम्पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया, तो संबंधित का अनुबंध निरस्त किया जाकर धरोहर राशि एवं रक्षित पेशगी तथा यथा स्थिति तौलकांटे/संरचना/सामग्री (जैसी स्थिति में हो) राजसात कर ली जायेगी।
33. सफल निविदाकार द्वारा विधिवत् तौलकाँटा स्थापना, नापतौल विभाग से सत्यापन कर क्रियाशील किये जाने की सूचना मंडी समिति को प्रस्तुत किये जाने पर मंडी समिति तत्काल तौलकांटे के संचालन के संबंध में सर्व संबंधितों को सूचना प्रदान करेंगी।
34. तौलकांटे की स्थापना एवं सत्यापन आदि के सम्पूर्ण व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
35. तौलकांटे की संचालन, रख-रखाव तथा विद्युत आदि के व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
36. तौलकांटा संचालनकर्ता को तौलकांटे को लगातार तकनीकी रूप से अद्यतन तकनीक से युक्त रखते हुए उसे अत्याधुनिक बनाए रखना होगा, जिसके व्यय का वहन भी संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
37. तौलकांटे के संचालन हेतु संबंधित तौलकांटा संचालक/ऑपरेटर को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलावटी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
38. उपविधि 2000 की कंडिका 24 के प्रावधान तौलकांटा संचालक/ ऑपरेटर पर यथास्थिति लागू रहेंगे।
39. तौलकाँटा संचालक, यह सुनिश्चित करेगा कि मंडी के कार्य-समय (Working Hours) के दौरान तौल काँटा चालू रहे। जिसके लिए संबंधित आवश्यक संख्या में अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर नियोजित करेगा।
40. तौल में कोई अन्तर नहीं आए इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु नापतौल के नियमानुसार एक टन के क्षमता के मानक बॉट आवश्यक है, जिसमें 20 किलो से लेकर 50 किलो तक के बॉट कुल-1000 किलोग्राम मानक वजन/बॉट भी हर समय तौलकांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटो को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग, केलीब्रेशन, सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
41. तौलकांटे में संचालन के दौरान तकनीकी खराबी आने पर उसे अविलंब दुरुस्त करना होगा तथा उक्त अनुक्रम में नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि तौलकांटे की खराबी 72 घंटे के भीतर ठीक कर तौल काँटा चालू नहीं किया जाता है तो संचालनकर्ता पर मासिक किराए की 10% प्रतिदिन के मान से राशि, दंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।
42. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटीकृत किया जाना तथा तौलकांटे में डिजीटल लोडसेल लगाया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्युट्रीकृत रसीद का रिकार्ड मासिकवार तौलकांटा संचालक द्वारा विगत 03 वर्षो का रिकार्ड संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
43. तौलकांटे संचालक द्वारा वाहनों की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु, यथास्थिति, तौलकांटे के वेट इन्डीकेटर मशीन को ई-मंडी प्रणाली से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।
44. तौलकांटा संचालक स्वयं के व्यय पर वाहनों की तौल की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार (न्यूनतम दो) सीसीटीवी कैमरें स्थापित करेगा। समिति की सहमति से कैमरें इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे तुलाई किये जा रहे वाहन का प्रकार/वाहन का नंबर एवं तौलकाँटा के डिस्प्ले बोर्ड से तुलाई की स्थिति एक साथ

(Simultaneously) रिकॉर्ड की जा सके। तौलकांटा संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर, उपरोक्त स्थापित कैमरों की Live Video Feed मंडी सचिव कार्यालय अथवा अन्य निर्देशित स्थान पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपरोक्त रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 02 माह की अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जायेगी।

45. स्थापित तौलकांटे में किसी विशिष्ट घटना की स्थिति में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, ऐसी अवधि तक के लिए जैसा कि मंडी समिति एवं/अथवा सक्षम न्यायालय/प्रबंध संचालक/जिला प्रशासन द्वारा परिपत्र की कंडिका 13.5 में उल्लेखित अवधि के भीतर लिखित रूप से अवगत कराया गया हो, सुरक्षित रखी जाएगी तथा उक्त रिकॉर्डिंग की 1 प्रति Pen Drive/हार्डडिस्क में मंडी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

46. तौलकांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौलकांटा संचालक को पूर्ण सहयोग देना होगा।

47. बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को, तौलकांटे की सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 10 वर्षों की प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण प्रीमियम राशि एकमुश्त अग्रिम जमा किये जाने पर, निर्धारित वार्षिक किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।

48. तौलकांटा संचालक द्वारा प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में त्रैमासिक किराया राशि का भुगतान नहीं करने पर किराये पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज, विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

49. निष्पादित अनुबंध दिनांक से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर वार्षिक प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।

50. द्वितीय वर्ष से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अग्रिम राशि निष्पादित अनुबंध के माह से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।

51. छः माह तक निर्धारित प्रीमियम/किराया एवं परिपत्र की कंडिका 15.1/ कंडिका 15.2 अनुसार विलंब शुल्क सहित पूर्ण देय योग्य राशि जमा नहीं करने एवं/अथवा किसी भी कारण से तौल काँटा 30 दिवस तक लगातार अक्रियाशील रहने की स्थिति में तौलकांटा संचालक का आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौलकांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जायेगी।

52. उपरोक्तानुसार राजसात संरचनाओं के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक नीलामी कर अन्य तौलकांटा संचालक को अस्थाई या स्थाई तौर पर उक्त तौलकांटा एवं संरचनाएं आवंटित की जायेंगी, उपरोक्त प्रक्रिया से अवशेष राशि वसूल की जायेगी। नीलामी होने तक कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए मंडी समिति द्वारा स्वयं के साधनों से तौलकाँटा का संचालन किया जा सकेगा।

53. नीलामी में प्राप्त राशि संबंधित पूर्व तौलकांटा आवंटिती की देयताओं (Dues) से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित को लौटाई जावेगी, किन्तु प्राप्त राशि देयताओं (Dues) से कम होने पर अवशेष राशि के लिए मंडी अधिनियम की धारा 61 के तहत आर.आर.सी. के तौर पर संबंधित से वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

54. तौलकांटे में कृषकों की तौल ऐच्छिक रहेगी। मंडी समिति द्वारा कृषकों की तौल बडे इलेक्ट्रानिक तौलकांटे से कराने के सतत प्रयास किए जायेंगे। कृषक द्वारा कृषि उपज की तौल कराने पर प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करानी होगी।

55. मंडी प्रांगण से निकासी के पूर्व, वाणिज्यिक संव्यवहार में विक्रय की गयी उपज की तौल मंडी में स्थापित बड़े तौलकांटे अथवा बी.ओ.टी. तौलकांटे पर (किसी एक पर) कराया जाना अनिवार्य होगा एवं जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र में तौलकांटे की पर्ची पर उल्लेखित वजन दर्ज किया जाएगा।

56. यदि कोई व्यक्ति/फर्म/संस्था, प्रदेश के कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगणों में स्थापित तौलकांटो पर अपनी गैर कृषि जिन्सों की तौल कराना चाहती है तो ऐसे वाहनों की तौल की जा सकेगी। जिसकी तुलाई की दरें तौलकांटा संचालक एवं कृषि उपज मंडी समिति की आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गैर कृषि जिन्सों की तौल ऐसे समय पर की जावे, जब मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय का तौल कार्य प्रक्रियाधीन न हो, ताकि मंडी की मुख्य गतिविधियां प्रभावित न हो एवं मंडी की आय- आवक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित करना तौलकांटा संचालक का दायित्व रहेगा।

57. तौलकांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौलकांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप-तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौलकांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग आदि वैधानिक कार्यवाहियां मण्डी समिति के सचिव/प्रतिनिधि के समक्ष कराया जाना अनिवार्य होगा।

58. तौलकांटा संचालक पर ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम 1973 [Licensing of Contactors under Contract Labour (R&A) Act, 1970 & MP Rules, 1973] (यथा संशोधित), म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1973 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/निर्देश बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

59. तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी समय-समय पर मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौलकांटे के केबिन में उपयुक्त प्रकार से सर्व संबंधितों के सूचनार्थ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

60. तौल संबंधी किसी अनियमितता/अपराध के लिए अधिनियम/उपविधि/अनुबंध के प्रावधानों के तहत एवं अद्यतन विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश विधिक अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

61. आवंटिती तौलकांटा संचालक द्वारा तौलकांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में मंडी समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। उक्त हेतु सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा तौल काँटा संचालक को शर्तों के उल्लंघन को अभिलिखित करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधित को उत्तर प्रस्तुतिकरण हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।

62. तौलकांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी नियमतः कार्यवाही संपादित न होने पर तौलकाँटा का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

63. तौलकांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्व आवंटन कार्यवाही होने पर अथवा अनियमित संचालन होने पर प्रबंध संचालक, म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच कर सकेंगे। प्रबंध संचालक, तौलकांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगें और उनके द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

64. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयीन क्षेत्र मध्यप्रदेश रहेगा।

65. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्रेषित किया जायेगा। प्रबंध संचालक, उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर यथास्थिति उभय पक्षों को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 60 दिवस में प्रकरण में विनिश्चय करेंगे। प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....

अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

बी.ओ.टी. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापना/संचालन हेतु अनुबंध पत्र प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक .....माह.....सन .....को प्रथम पक्षकार कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....मध्यप्रदेश व द्वितीय पक्षकार/ तौलकांटा संचालक/संस्था/ (प्रोपराईटर श्री .....पुत्र .....जाति.....के मध्य सम्पन्न हुआ। (जो लागू हो) निम्नानुसार शर्तो के तहत निष्पादित किया जा रहा है-

1. तौलकांटे की स्थापना हेतु मंडी में उपलब्ध स्थानों में से उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है, जहाँ प्रांगण में आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके, तौल हेतु वाहन सहजता से तौलकांटे तक पहुँच सके तथा मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो।
2. परिपत्र की कंडिका-1.4 अनुसार मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में "स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण, भूखंड का आकार आदि" दर्ज है, जो अनुबंध का भाग होगा।
3. सामान्यतः तौलकांटे हेतु आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आदर्श/प्रतिमान (model) आकार 20X10 वर्गमीटर होगा /आंकलन समिति द्वारा मंडी की आवश्यकता, स्थान की उपलब्धता, तौलकांटे की क्षमता आदि मानकों के आधार पर कम/अधिक आकार के.....वर्गमीटर भूखंड का आवंटन प्रस्तावित कर ले-आउट में तदनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार निविदा आमंत्रित की गई है (जो लागू हो।)
4. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा (Weighbridge) स्थापित करने हेतु भूखण्ड का आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए केवल किराये पर दिया जायेगा।
5. विस्तारित अवधि (Extended Period) – तौल काँटा संचालन का कार्य संतोषजनक होने, समस्त देयकों का पूर्ण भुगतान होने तथा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मंडी समिति आवंटन अवधि में 05-05 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार वृद्धि करने का निर्णय ले सकेगी।
6. उपरोक्त वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में मंडी समिति एवं तौलकाँटा संचालक के मध्य नवीन अनुबंध संपादित किया जायेगा, जिसमें मंडी समिति तात्कालिक परिस्थितियों एवं मंडी बोर्ड के नवीन/प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नवीन शर्ते सम्मिलित कर सकेगी, जो तौलकाँटा संचालक को मान्य एवं बाध्यकारी होंगी। मंडी समिति की शर्तों को तौलकाँटा संचालक द्वारा मान्य न किये जाने पर आवंटन अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी तथा तौलकांटे के आवंटन हेतु पुनः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
7. आवंटन अवधि में वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में प्रत्येक वृद्वि के दौरान वार्षिक प्रीमियम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्वि की जाकर वार्षिक प्रीमियम राशि पुनरीक्षित की जाएगी।

8. आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का वार्षिक किराया, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य के 03 % अनुसार, कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि वर्तमान आवंटन हेतु .....राशि रूपये प्रतिमाह है।

9. आवंटित भूखण्ड के किराए में प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि की जाएगी।

10. आवंटिती को तौलकांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये की राशि का भुगतान मंडी समिति को प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में अनिवार्यतः अग्रिम के रूप से करना होगा।

11. आवंटिती के पास किराये का अग्रिम भुगतान वार्षिक रूप से करने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा, वार्षिक किराये का भुगतान अग्रिम रूप से करने पर वार्षिक किराये में 4% (चार प्रतिशत) की छूट प्रदाय की जाएगी।

12. तौलकांटे पर कृषकों एवं व्यापारियों की कृषि उपज की तौल के लिए तुलाई दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जाएँगी। कृषकों की उपज की तौल हेतु यथा ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहन के लिए दरें व्यापारिक तौल की दरों से न्यून तथा रियायती रखी जाएगी।

13. व्यापारिक जावक की तौल दरें सामान्यतः क्षेत्र की प्रचलित दरों के अनुरुप होगी। प्रारंभिक तुलाई दरें भू-खण्ड आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है जो अनुबंध का भाग होगी।

14. मंडी समिति, मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 के प्रावधान अनुसार तुलाई दरों में संशोधन कर सकेगी, किन्तु एक बार निर्धारित दर में 03 वर्ष के पूर्व कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

15. उच्चतम दर अनुसार वार्षिक तौलकांटा प्रीमियम की राशि.....रुपये संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा एक मुश्त अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष (अनुबंध संपादन माह में) मंडी समिति में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उदाहरणस्वरुप - यदि जनवरी माह में अनुबंध निष्पादित किया गया है तो आगामी वर्ष से अनुबंध समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष अग्रिम प्रीमियम राशि जनवरी माह में अनिवार्यतः जमा करनी होगी।

16. धरोहर राशि, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य का 3% (तीन प्रतिशत) होगी, जो कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसी प्रकार सफल निविदाकार द्वारा 01 वर्ष के वार्षिक प्रीमियम की राशि रक्षित पेशगी के रूप में अतिरिक्त रूप से अनिवार्यतः जमा की जाएगी।

17. धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि सुरक्षा निक्षेप के रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी। उक्त राशि तौलकांटा संचालक को अनुबंध अवधि समाप्ति के एक माह के भीतर मंडी के देय स्वत्वों के समायोजन उपरांत बिना ब्याज लौटाई जाएगी।

18. प्रदेश की किसी मंडी समिति के देयक/शोध्य वसूली योग्य होने एवं/अथवा शासन के किसी विभाग अथवा संगठन से ब्लैक लिस्टेड आवेदक तौलकांटे की निविदा प्रस्तुत करने हेतु अपात्र होंगे।

19. आवेदन के साथ परिपत्र की कंडिका 8.5 के अनुक्रम में निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत शपथ-पत्र में दिये गये तथ्य/विवरण गलत/असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित के विरूद्व तौल काँटा आवंटन निरस्ती एवं धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि राजसात करने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

20. तौलकांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौलकांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन पर गर्डर फर्शी की छत इस शर्त के साथ डाली जा सकती है कि छत पर अन्य निर्माण कार्य नहीं होगा एवं छत का उपयोग किसी व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व स्थापित बीओटी तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा।

21. तौलकांटे की स्थापना का कार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड के नवीनतम मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा। नापतौल विभाग के सत्यापन उपरांत ही तौलकॉटा प्रारंभ किया जाएगा।

22. सफल निविदाकार को मंडी समिति से तौलकांटा आवंटन आदेश प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर तौल कांटे को स्थापित एवं क्रियाशील कर मंडी समिति को सूचित करना होगा। विलंब की स्थिति में संबंधित पर निर्धारित वार्षिक प्रीमियम राशि का 1.5% प्रतिमाह के मान से विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। यदि आगामी तीन माह (आदेश प्राप्त दिनांक से छः माह) के भीतर भी तौलकांटा प्रारंभ नहीं किया गया अथवा विलंब शुल्क सम्पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया, तो संबंधित का अनुबंध निरस्त किया जाकर धरोहर राशि एवं रक्षित पेशगी तथा यथा स्थिति तौलकांटे/संरचना/सामग्री (जैसी स्थिति में हो) राजसात कर ली जायेगी।

23. सफल निविदाकार द्वारा विधिवत् तौलकाँटा स्थापना, नापतौल विभाग से सत्यापन कर क्रियाशील किये जाने की सूचना मंडी समिति को प्रस्तुत किये जाने पर मंडी समिति तत्काल तौलकांटे के संचालन के संबंध में सर्व संबंधितों को सूचना प्रदान करेंगी।

24. तौलकांटे की स्थापना एवं सत्यापन आदि के सम्पूर्ण व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।

25. तौलकांटे की संचालन, रख-रखाव तथा विद्युत आदि के व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।

26. तौलकांटा संचालनकर्ता को तौलकांटे को लगातार तकनीकी रूप से अद्यतन तकनीक से युक्त रखते हुए उसे अत्याधुनिक बनाए रखना होगा, जिसके व्यय का वहन भी संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।

27. तौलकांटे के संचालन हेतु संबंधित तौलकांटा संचालक/ऑपरेटर को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलावटी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

28. उपविधि 2000 की कंडिका 24 के प्रावधान तौलकांटा संचालक/ ऑपरेटर पर यथास्थिति लागू रहेंगे।

29. तौलकाँटा संचालक, यह सुनिश्चित करेगा कि मंडी के कार्य-समय (Working Hours) के दौरान तौल काँटा चालू रहे। जिसके लिए संबंधित आवश्यक संख्या में अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर नियोजित करेगा।

30. तौल में कोई अन्तर नहीं आए इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु नापतौल के नियमानुसार एक टन के क्षमता के मानक बॉट आवश्यक है, जिसमें 20 किलो से लेकर 50 किलो तक के बॉट कुल-1000 किलोग्राम मानक वजन/बॉट भी हर समय तौलकांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटो को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग, केलीब्रेशन, सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

31. तौलकांटे में संचालन के दौरान तकनीकी खराबी आने पर उसे अविलंब दुरुस्त करना होगा तथा उक्त अनुक्रम में नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि तौलकांटे की खराबी 72 घंटे के भीतर ठीक कर तौल काँटा चालू नहीं किया जाता है तो संचालनकर्ता पर मासिक किराए की 10% प्रतिदिन के मान से राशि, दंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।

32. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना तथा तौलकांटे में डिजीटल लोडसेल लगाया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्युट्रीकृत रसीद का रिकार्ड मासिकवार तौलकांटा संचालक द्वारा विगत 03 वर्षो का रिकार्ड संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

33. तौलकांटे संचालक द्वारा वाहनों की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु, यथास्थिति, तौलकांटे के वेट इन्डीकेटर मशीन को ई-मंडी प्रणाली से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।

34. तौलकांटा संचालक स्वयं के व्यय पर वाहनों की तौल की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार (न्यूनतम दो) सीसीटीवी कैमरें स्थापित करेगा। समिति की सहमति से कैमरें इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे तुलाई किये जा रहे वाहन का प्रकार/वाहन का नंबर एवं तौलकाँटा के डिस्प्ले बोर्ड से तुलाई की स्थिति एक साथ (Simultaneously) रिकॉर्ड की जा सके। तौलकांटा संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर, उपरोक्त स्थापित कैमरों की Live Video Feed मंडी सचिव कार्यालय अथवा अन्य निर्देशित स्थान पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपरोक्त रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 02 माह की अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जायेगी।

35. स्थापित तौलकांटे में किसी विशिष्ट घटना की स्थिति में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, ऐसी अवधि तक के लिए जैसा कि मंडी समिति एवं/अथवा सक्षम न्यायालय/प्रबंध संचालक/जिला प्रशासन द्वारा परिपत्र की कंडिका 13.5 में उल्लेखित अवधि के भीतर लिखित रूप से अवगत कराया गया हो, सुरक्षित रखी जाएगी तथा उक्त रिकॉर्डिंग की 1 प्रति Pen Drive/हार्डडिस्क में मंडी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

36. तौलकांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौलकांटा संचालक को पूर्ण सहयोग देना होगा।

37. बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को, तौलकांटे की सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 10 वर्षो की प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण प्रीमियम राशि एकमुश्त अग्रिम जमा किये जाने पर, निर्धारित वार्षिक किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।

38. तौलकांटा संचालक द्वारा प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में त्रैमासिक किराया राशि का भुगतान नहीं करने पर किराये पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज, विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

39. निष्पादित अनुबंध दिनांक से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर वार्षिक प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।

40. द्वितीय वर्ष से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अग्रिम राशि निष्पादित अनुबंध के माह से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।

41. छः माह तक निर्धारित प्रीमियम/किराया एवं परिपत्र की कंडिका 15.1/ कंडिका 15.2 अनुसार विलंब शुल्क सहित पूर्ण देय योग्य राशि जमा नहीं करने एवं/अथवा किसी भी कारण से तौल काँटा 30 दिवस तक लगातार अक्रियाशील रहने की स्थिति में तौलकांटा संचालक का आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौलकांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जायेगी ।

42. उपरोक्तानुसार राजसात संरचनाओं के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक नीलामी कर अन्य तौलकांटा संचालक को अस्थाई या स्थाई तौर पर उक्त तौलकांटा एवं संरचनाएं आवंटित की जायेंगी, उपरोक्त प्रक्रिया से अवशेष राशि वसूल की जायेगी। नीलामी होने तक कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए मंडी समिति द्वारा स्वयं के साधनों से तौलकाँटा का संचालन किया जा सकेगा।

43. नीलामी में प्राप्त राशि संबंधित पूर्व तौलकांटा आवंटिती की देयताओं (Dues) से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित को लौटाई जावेगी, किन्तु प्राप्त राशि देयताओं (Dues) से कम होने पर अवशेष राशि के लिए मंडी अधिनियम की धारा 61 के तहत आर.आर.सी. के तौर पर संबंधित से वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

44. तौलकांटे में कृषकों की तौल ऐच्छिक रहेगी। मंडी समिति द्वारा कृषकों की तौल बडे इलेक्ट्रानिक तौलकांटे से कराने के सतत प्रयास किए जायेंगे। कृषक द्वारा कृषि उपज की तौल कराने पर प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करानी होगी।

45. मंडी प्रांगण से निकासी के पूर्व, वाणिज्यिक संव्यवहार में विक्रय की गयी उपज की तौल मंडी में स्थापित बड़े तौलकांटे अथवा बी.ओ.टी. तौलकांटे पर (किसी एक पर) कराया

जाना अनिवार्य होगा एवं जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र में तौलकांटे की पर्ची पर उल्लेखित वजन दर्ज किया जाएगा।

46. यदि कोई व्यक्ति/फर्म/संस्था, प्रदेश के कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगणों में स्थापित तौलकांटो पर अपनी गैर कृषि जिन्सों की तौल कराना चाहती है तो ऐसे वाहनों की तौल की जा सकेगी। जिसकी तुलाई की दरें तौलकांटा संचालक एवं कृषि उपज मंडी समिति की आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गैर कृषि जिन्सों की तौल ऐसे समय पर की जावे, जब मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय का तौल कार्य प्रक्रियाधीन न हो, ताकि मंडी की मुख्य गतिविधियां प्रभावित न हो एवं मंडी की आय- आवक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित करना तौलकांटा संचालक का दायित्व रहेगा।

47. तौलकांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौलकांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप-तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौलकांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग आदि वैधानिक कार्यवाहियां मण्डी समिति के सचिव/प्रतिनिधि के समक्ष कराया जाना अनिवार्य होगा ।

48. तौलकांटा संचालक पर ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम 1973 [Licensing of Contactors under Contract Labour (R&A) Act, 1970 & MP Rules, 1973] (यथा संशोधित), म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1973 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/ मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/ निर्देश बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

49. तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी समय-समय पर मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौलकांटे के केबिन में उपयुक्त प्रकार से सर्व संबंधितों के सूचनार्थ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

50. तौल संबंधी किसी अनियमितता/अपराध के लिए अधिनियम/उपविधि/अनुबंध के प्रावधानों के तहत एवं अद्यतन विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश विधिक अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

51. आवंटिती तौलकांटा संचालक द्वारा तौलकांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में मंडी समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। उक्त हेतु सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा तौल काँटा संचालक को शर्तों के उल्लंघन को अभिलिखित करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधित को उत्तर प्रस्तुतिकरण हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।

52. तौलकांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी नियमतः कार्यवाही संपादित न होने पर तौलकाँटा का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

53. तौलकांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नही किये जाने पर अथवा नियम विरूद्व आवंटन कार्यवाही होने पर अथवा अनियमित संचालन होने पर प्रबंध

संचालक, म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच कर सकेंगे। प्रबंध संचालक, तौलकांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगें और उनके द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

54. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयीन क्षेत्र मध्यप्रदेश रहेगा।

55. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्रेषित किया जायेगा। प्रबंध संचालक, उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर यथास्थिति उभय पक्षों को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 60 दिवस में प्रकरण में विनिश्चय करेंगे। प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र कृषि उपज समिति .....की ओर से अधिकृत पदाधिकारी श्री/श्रीमति.....व तौलकांटा संचालक/प्रो0 श्री/श्रीमति..... पूर्ण पता..... द्वारा आज दिनांक .....को निष्पादित व साक्षीकृत किया जा रहा है।

स्थान-

दिनांक-

(श्री/श्रीमति----------)
प्रथम पक्षकर
कृषि उपज मंडी समिति.....
जिला----------

(श्री/श्रीमति----------)
द्वितीय पक्षकार/तौलकांटा संचालक
पता----------

गवाह-(1) नाम- .....
पता.....
.....

(2) नाम- .....
पता.....
.....

Signature Not Verified
Digitally signed by VINOD KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.04.24 15:44:35 IST
Location: Madhya Pradesh-MP